सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

13 श्रावण, 1942 (श०)

संख्या- 348 राँची, मंगलवार, 4 अगस्त, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

11 जून, 2020

संख्या--5/आरोप-1-21/2015 का०-2806--श्री लाल मोहन नायक, सेवानिवृत्त झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-645/03, गृह जिला- राँची) के जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, धनबाद के कार्यावधि से संबंधित आरोप उपायुक्त, धनबाद के पत्रांक-834/गो0, दिनांक-17.04.2015 द्वारा प्रपत्र-'क' में गठित कर उपलब्ध कराया गया है। प्रपत्र-'क' में श्री नायक के विरूद्ध निम्नवत् आरोप हैं :-

आरोप सं0-1- झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार, धनबाद के लिए प्रस्तावित रिंग रोड के लिए मौजा-धनबाद से संबंधित भू-अर्जन अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि अभिलेख के आदेशफलक के पृष्ठ-10 पर भूमि के लिए साधारण प्रक्रिया के तहत धारा-7 की कार्रवाई की स्वीकृति तत्कालीन उपायुक्त से दिनांक 26.07.2011 को प्राप्त की गयी है। मौजा-धनबाद के अभिलेख के आदेशफलक के पृष्ठ 12-16 के अवलोकन से विदित होता है कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा दिनांक 20.06.2011, 24.06.2011 एवं 18.07.2011 को रैयतो को मुआवजा राशि का भुगतान किया गया। इसके उपरांत आरोपित पदाधिकारी द्वारा 18.07.2011, 27.07.2011, 29.08.2011, 05.09.2011, 12.09.2011, 08.10.2011, 29.10.2011, 25.11.2011, 29.11.2011 को भुगतान की कार्रवाई की गयी है। दिनांक 22.12.2011 को सरकार को प्राक्कलन स्वीकृत्यार्थ भेजा गया है। इसके उपरांत 01.03.2012,

23.05.2012, 11.08.2012 तथा 03.11.2012 को भी भुगतान की कार्रवाई की गयी है। इससे स्पष्ट होता है कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा वगैर नियमों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किए निहितार्थ भाव से मनमानीपूर्वक भुगतान की कार्रवाई की गयी है तथा अभिलेख के संधारण में भी गड़बड़ी की गयी है।

आरोप सं0-2- बन्दोबस्त पदाधिकारी, धनबाद के पत्रांक-67 दिनांक 21.02.2015 द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के अनुसार 39 ऐसे मामले है जिसमें प्रस्तावित भूमि अर्जन से संबंधित भूमि का छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन कर भूमि का हस्तांतरण किया गया है। इसे नजर अंदाज कर आरोपित पदाधिकारी द्वारा मुआवजा का भुगतान किया गया है, जो उनकी कर्त्तव्यहीनता को दर्शाता है।

आरोप सं0-3- श्री राम कुमार गुप्ता, श्रीमती सुषमा प्रसाद, श्री संतोष कुमार कर्ण, सुमेश्वर शर्मा, सिद्धनाथ शर्मा द्वारा भू-अर्जन अधिसूचना के उपरांत भूमि का क्रय किया गया। श्रीमती सुषमा प्रसाद को दिनांक 08.11.2011 को क्रय की गयी भूमि के लिए 25.11.2011 को, श्री संतोष कुमार कर्ण को दिनांक 23.12.2011 को निबंधित दस्तावेज के विरूद्ध दिनांक 03.01.2012, दिनांक 01.10.2011 को निबंधित दस्तावेज के विरूद्ध 29.10.2011 को, 24.02.2011 को निबंधित दस्तावेज के विरूद्ध 29.10.2011 को तथा 16.11.2011 को निबंधित दस्तावेज के विरूद्ध 25.11.2011 को बिना वांछित प्रक्रिया को सुनिश्चित कराये मुआवजा का भुगतान किया गया। इसी प्रकार श्री सिद्धार्थ शर्मा, सुमेश्वर शर्मा को भी कई मामले में निबंधन के मात्र चन्द दिनों के बाद ही मुआवजा का भुगतान किया गया है। इससे विदित होता है कि इन मामलों में दाखिल खारिज की स्वीकृति का भी इन्तजार नहीं किया गया है, जो किसी भी रैयत के भूमि पर वास्तविक दखलकार होने का प्रमाण होता है। इससे विदित होता है, साथ ही सभी भुगतान के मामले में रैयतों की पहचान एक ही अधिवक्ता, जिनका इनरोलमेन्ट संख्या 726/02 है, से ही करायी गयी। इससे मिलीभगत कर निहितार्थ भाव से लापरवाहीपूर्वक भुगतान की कार्रवाई की गयी।

आरोप सं0-4- नोटिस के तामिला के संबंध में जाँच दल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि इसकी मात्र औपचारिकता निभायी गयी है। जिन भू-धारियों को नोटिस का तामिला किया गया उन्हें मुआवजा का भुगतान नहीं किया गया। भूमि के क्रय करने पर विधिवत् सूचना निर्गत नहीं कर सीधे मुआवजा का भुगतान किया गया। मौजा दुहाटांड में आदिवासी रैयतों को अधिसूचना का तामिला की जिम्मेवारी श्री दुर्गा प्रसाद रजवार, अनुसेवक को दी गयी। 33 में से मात्र 10 का तामिला कराया गया वह भी संबंधित रैयतों को प्राप्त नहीं कराया गया। इस अभिलेख पर अमीन रघुनाथ ठाकुर, कानूनगो श्री मिथिलेश कुमार एवं जिला भू-अर्जन पदाधिकारी श्री लाल मोहन नायक का हस्ताक्षर है। धारा-9 से संबंधित नोटिस के तामिला की जिम्मेवारी श्री श्यामदेव नाग, अनुसेवक को दी गई थी। प्रतिवेदन में यह भी लिखा गया है कि सभी मुआवजा भुगतान करने वालो की पहचान एक ही अधिवक्ता द्वारा की

गयी है जिनका इनरौलमेन्ट संख्या 726/02 है। इससे विदित होता है कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा पूरी कार्रवाई आपसी मिलीभगत से निजी स्वार्थसिद्धि की नीयत से की गयी है।

आरोप सं0-5- जाँच प्रतिवेदन से विदित होता है कि मौजा मनईटांड के खाता संख्या-53, प्लॉट संख्या-312, रकवा 27 डिसमिल भूमि श्री विनोद महतो की है। श्री सुमेश्वर शर्मा ने श्री विनोद महतो के चार पुत्र में से मात्र एक पुत्र श्री शिबू महतो से 04 डिसमिल भूमि निबंधित दस्तावेज संख्या-16304 दिनांक 19.12.2011 द्वारा क्रय कर दिनांक 23.05.2012 को मुआवजा का भुगतान प्राप्त किया। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से विदित होता है कि श्री विनोद महतो द्वारा मुआवजा भुगतान के पूर्व ही आपत्ति आवेदन तत्कालीन उपायुक्त को समर्पित किया गया था, जिसे प्रभारी पदाधिकारी, जन-शिकायत कोषांग, धनबाद ने अपने पत्र संख्या-1873 दिनांक 27.12.2011 द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दिया। इस मामले में श्री सुमेश्वर शर्मा ने जानबूझ कर पिता के जीवित रहते उनके पुत्र से भूमि अनियमित रूप से क्रय की तथा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी द्वारा आपत्ति आवेदन को नजरअंदाज कर भुगतान की कार्रवाई की। विनोद महतो की मृत्यु दिनांक 22.04.2012 को हुई है। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त भूमि साहेब राम महतो के नाम से खतियान में दर्ज 6.20 3/4 एकड़ भूमि का अंश है। खतियानी रैयत के वंशज श्री विनोद महतो द्वारा उक्त संपूर्ण भूमि के लिए दिनांक 12.12.2011 को लगान का भुगतान कर रसीद प्राप्त किया गया है, जिसकी संख्या- 6085779 है। उक्त जमाबन्दी से वगैर भूमि को खारिज किये श्री सुमेश्वर शर्मा द्वारा क्रय की गयी भूमि के लिए भी दाखिल खारिज वाद संख्या-3085(III) दिनांक 20.11.2012 के आलोक में राजस्व कर्मचारी द्वारा लगान रसीद संख्या-6089224 दिनांक 06.12.2012 को निर्गत किया गया है। इस प्रकार जाँच दल के अनुसार एक ही भूमि के लिए दो लगान रसीद श्री सुरेन्द्र प्रसाद, राजस्व कर्मचारी द्वारा निर्गत की गयी। इससे विदित होता है कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा जानबूझ कर अनियमित भू-हस्तांतरण के आधार पर गलत मंशा से सभी नियम, प्रावधानों एवं आपत्ति की अनदेखी करते हुए भुगतान की कार्रवाई की गयी।

आरोप सं0-6- मौजा-धनबाद के खाता संख्या-29 प्लॉट संख्या 1508, 1514, 1516 तथा 1517 रकवा 20.05 डिसमिल भूमि गोपाल महतो से श्री सिद्धार्थ शर्मा, अनील कुमार एवं संतोष कुमार कर्ण ने संयुक्त रूप से दस्तावेज संख्या 14292 दिनांक 24.10.2011 द्वारा क्रय किया। डीड संख्या-16060 दिनांक 14.12.2011 द्वारा खाता संख्या 83, प्लॉट संख्या-2655 रकवा 05 डिसमिल श्री सुरज कुमार से श्री सिद्धार्थ शर्मा एवं तनुजा सिंह द्वारा संयुक्त रूप से क्रय किया गया। इसी प्रकार अन्य चार डीड के द्वारा संयुक्त रूप से भूमि का क्रय कर मुआवजा प्राप्त किया गया। जाँच दल का अभिमत है कि अधिसूचना के उपरांत एक गिरोह द्वारा साजिशपूर्वक जमीन क्रय किया गया। इससे विदित होता है कि इसमें आरोपित पदाधिकारी की पूरी संलिप्तता थी अन्यथा नियमों एवं प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए उनके द्वारा भुगतान की कार्रवाई नहीं की जाती।

आरोप सं0-7- बन्दोबस्त पदाधिकारी, धनबाद के पत्र संख्या 409II, दिनांक 31.12.2014 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार श्री नरसिंह दास, पिता-दशरथ दास को मौजा धनबाद के खाता संख्या-121, प्लॉट संख्या-1630, रकबा-34 डिसमिल भूमि के लिए मुआवजा का भुगतान किया गया है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार उक्त भूमि को दस्तावेज संख्या-12591, दिनांक 27.08.2011 द्वारा श्री विश्वनाथ शर्मा, पिता-यमुना शर्मा को बिक्री किया गया। इसके उपरांत भी 03 अलग-अलग किस्तों में पंचाट तैयार कर भुगतान किया गया। श्री दास को कुल 1,37,08,800/- रूपये मुआवजा का भुगतान किया गया। भुगतान की वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। श्री नरसिंह दास द्वारा बिक्री की गयी भूमि का मुआवजा श्री विश्वनाथ शर्मा को किया गया है। इससे विदित होता है कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा मिलीभगत कर निहित स्वार्थवश मनमानी कार्रवाई की गयी है।

आरोप सं0-8- श्रीमती तुलिया देवी को ग्राम मनईटांड के खाता संख्या 34, प्लॉट संख्या 555 एवं 589 के लिए 1.152 करोड़ रूपये मुआवजा का भुगतान किया गया। श्री दीप कुमार साव पिता-जयराम साव ने उक्त भूमि पर खतियानी रैयत के उत्तराधिकारी होने के नाते दिनांक 07.12.2011 को दावा किया। जाँच दल का कथन है कि श्री साव के पास संबंधित भूमि के दावा से संबंधित कागजात उपलब्ध है। तुलिया देवी को खतियानी रैयत अथवा उनके उत्तराधिकारी द्वारा प्रश्नगत भूमि नहीं बेची गयी है। भुगतान करने के पूर्व इस विवाद का निस्तार सुनिश्चित किया जाना चाहिए था। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, धनबाद ने अपने ज्ञापांक 699 दिनांक 13.10.2014 द्वारा श्रीमती तुलिया देवी को मुआवजा की राशि वापस करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा गलत भुगतान की कार्रवाई की गयी है।

आरोप सं0-9- बन्दोबस्त पदाधिकारी, धनबाद के पत्र संख्या 409(II) दिनांक 31.12.2014 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार श्री नरसिंह दास, पिता दशरथ दास को मौजा धनबाद के खाता संख्या-121 प्लॉट संख्या-1630 रकवा 34 डिसमिल भूमि के लिए मुआवजा का भुगतान किया गया है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार उक्त भूमि को दस्तावेज संख्या 12591 दिनांक 27.08.2011 द्वारा श्री विश्वनाथ शर्मा, पिता यमुना शर्मा को बिक्री किया गया। इसके उपरांत भी 03 अलग-अलग किस्तों में पंचाट तैयार कर भुगतान किया गया। श्री दास को कुल 1,37,08,800/- रूपये मुआवजा का भुगतान किया गया। भुगतान की वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। श्री नरसिंह दास द्वारा बिक्री की गयी भूमि के मुआवजा का भुगतान श्री विश्वनाथ शर्मा को किया गया है। बिना नियम एवं प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित किये आरोपित पदाधिकारी द्वारा निहितार्थ भाव से भुगतान की कार्रवाई की गयी।

आरोप सं0-10- श्रीमती तुलिया देवी को मौजा मनईटांड के खाता संख्या 34, प्लॉट संख्या 589 तथा मौजा-धनबाद (58) के लिए मुआवजा का भुगतान किया गया है, जिस पर श्री अजित कुमार पिता श्याम प्रसाद सिंह, ग्राम मनईटांड द्वारा दावा किया जा रहा है। इस दावा के निस्तार की स्थिति अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट नहीं होती है। श्री कुमार के आवेदन पर कार्रवाई सुनिश्चित किये बिना तथा

अपेक्षित नियम एवं प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित किये बिना आरोपी पदाधिकारी द्वारा गलत मंशा से भुगतान की कार्रवाई की गई है।

आरोप सं0-11- अपर समाहर्त्ता, आपूर्ति, धनबाद से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में श्री भोला सिंह को 20 डिसमिल भूमि के बदले 28 डिसमिल भूमि के लिए मुआवजा भुगतान के संबंध में लिखा गया है कि प्रस्तुत केवाला संख्या 25510 दिनांक 27.10.1970 के अनुसार मौजा दुहाटांड के खाता संख्या-89, प्लौट संख्या 901, रकवा 28 डिसमिल के लिए मुआवजा का भुगतान भोला सिंह को किया गया है। अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार उक्त दस्तावेज के आधार पर 20 डिसमिल भूमि का दाखिल खारिज वाद संख्या-2711(3)2011-12 द्वारा स्वीकृत हुआ है। आरोपकर्त्ता के अनुसार प्रश्नगत दस्तावेज फर्जी है जिस संबंध में जाँच प्रतिवेदन में उल्लिखित है कि भू-अर्जन कार्यालय द्वारा संबंधित दस्तावेज सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। दाखिल खारिज के दौरान किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति नहीं की गयी है। प्रथम द्रष्टव्य भुगतान में अनियमितता हुई है। इसके लिए आरोपित पदाधिकारी पूरी तरह जिम्मेवार हैं।

आरोप सं0-12- आरोपित पदाधिकारी द्वारा बिना प्राक्कलन स्वीकृति के बिना कैम्प लगाये, बिना उचित पहचान के मनमाने ढ़ंग से 80 करोड़ का भुगतान करने के संबंध में प्रतिवेदित किया गया है कि रैयतों को मुआवजा का भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से फार्म 252 पर स्थानीय वकील की पहचान पर किया गया है। भुगतान की कार्रवाई कैम्प लगाकर नहीं किया गया है। जाँच पदाधिकारी द्वारा मंतव्य में लिखा गया है कि भू-अर्जन अधिनियम की धारा 17 में विषेष परिस्थिति में भूमि का दखल कब्जा लेने का प्रावधान है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्र संख्या 854/रा0 दिनांक 15.12.2012 के द्वारा जे0आर0डी0ए0 से संबंधित भू-अर्जन मामलों में विशेष परिस्थति में भू-अर्जन अधिनियम की धारा 11(2) तथा झारखण्ड स्वैच्छिक भू-अर्जन नियमावली 2010 के कंडिका 3(क) के तहत प्रभावित रैयतों से सहमति पत्र प्राप्त कर उचित मुआवजा भुगतान करने का निदेश दिया गया था। इस के आधार पर आरोपित पदाधिकारी के कृत्य को उचित नहीं माना जा सकता है, क्योंकि सरकार के उक्त आदेश के प्राप्त होने के पूर्व से ही बगैर प्राक्कलन की स्वीकृति भुगतान की कार्रवाई भूमि का बगैर भौतिक दखल प्राप्त किये मनमानीपूर्वक की गयी। यह केवल उनकी लापरवाही एवं कर्त्तव्यहीनता ही नहीं दर्शाता है अपितु लोक राशि का जानबूझ कर गलत मंशा से दुरूपयोग करने का भी आरोप उन पर बनता है।

आरोप सं0-13- मौजा तिलाटांड, बाघमारा अंचल अन्तर्गत भू-अर्जन की अधिसूचना दिनांक 08.08.2014 को वापस की गयी है एवं भू-अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधान के अनुरूप प्रस्ताव की माँग की गयी है। ग्राम तिलाटांड में भू-अर्जन की नयी प्रक्रिया अभी प्रारंभ नहीं हुई है, परन्तु पूर्व में प्रारंभ किये गये एल0ए0 केस नम्बर 6/2010-11 में कुल 24 रैयतों का एवार्ड तैयार कर मुआवजा की राशि का भुगतान किया जा चुका है। श्री श्यामलाल हांसदा पिता सोमरा हांसदा को चेक संख्या 648537 दिनांक 18.05.2013 द्वारा एकान्ट पेयी चेक से 3,00,32,290.00 रूपये का भुगतान किया गया है। श्री

श्यामलाल हांसदा को वास्तविक भुगतान नहीं हुआ है। इससे विदित होता है कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा निजी स्वार्थसिद्धि की नीयत से नियमों एवं प्रक्रियाओं का बगैर पालन किए अनियमित भुगतान की कार्रवाई की गयी है।

आरोप सं0-14- जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि श्री गणेश मुर्मू, पिता टीकाराम मुर्मू, श्री रशिक मुर्मू, श्री देवराज मुर्मू, श्री सीताराम मराण्डी, श्री जयदेव मांझी, श्री श्याम लाल हांसदा तथा श्री गणेश टुडू को भुगतान की गयी मुआवजा की राशि उनके जोरापोखर पैक्स खोले गये खाता में जमा किया गया। संबंधित आदिवासी रैयतों का कथन है कि उन्हे मुआवजा की संपूर्ण राशि नहीं दी गयी तथा कुछ बीचौलिये के द्वारा उनकी राशि की निकासी कर ली गयी। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से विदित होता है कि मुआवजा से संबंधित चेक के क्लीयरेन्स होकर संबंधित खाताधारी के खाता में राशि जमा होने के पूर्व ही शाखा प्रबंधक, जोरापोखर पैक्स, धनसार द्वारा ओ0डी0 के रूप में राशि का भुगतान कर दिया गया। बगैर नियमों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन किए आरोपित पदाधिकारी द्वारा भुगतान की कार्रवाई किये जाने से विदित होता है कि इस हेराफेरी में उनकी सहभागिता रही है।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय पत्रांक-4531, दिनांक 20.05.2015 द्वारा श्री नायक से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, परंतु इनके द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया। अतः विभागीय संकल्प संख्या-7842, दिनांक-28.08.2015 द्वारा श्री नायक के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री अशोक कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। बाद में, श्री सिन्हा के स्थान पर श्री एहतेशामुल हक, विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। पुनः विभागीय संकल्प संख्या-7840, दिनांक 09.09.2016 द्वारा श्री हक के स्थान पर श्री विनोद कुमार झा, विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-54, दिनांक 14.02.2017 द्वारा श्री नायक के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर जाँच-प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री नायक के विरूद्ध प्रपत्र-'क' में प्रतिवेदित कुल 14 आरोपों में से आरोप सं0-2 एवं 13 को छोड़कर 12 आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है।

श्री नायक के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत प्रमाणित आरोपों के लिए झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के तहत् इनके पेंशन से 50 (पचास) प्रतिशत राशि की कटौती करने के बिन्दु पर विभागीय पत्रांक-9570, दिनांक-31.12.2018 द्वारा श्री नायक से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। श्री नायक के पत्र, दिनांक-22.05.2019 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया है।

श्री नायक के विरूद्ध गठित आरोप, इनके बचाव-बयान, संचालन पदाधिकारी के जाँच-प्रतिवेदन तथा द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि इनके

द्वारा प्रमाणित आरोपों के संबंध में कोई तर्क नहीं दिया गया। समीक्षोपरांत, श्री नायक द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए इनके विरूद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के तहत् इनके पेंशन से 50% (पचास प्रतिशत) राशि की कटौती करने का निर्णय लिया गया, जिसे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया है। तद्नुसार, विभागीय पत्रांक-5532, दिनांक 12.07.2019 द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची से उक्त दण्ड अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर सहमति संसूचित करने का अनुरोध किया गया। झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के पत्रांक-3380, दिनांक 15.10.2019 द्वारा दण्ड के प्रस्ताव पर सहमति संसूचित की गयी।

झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के सहमति उपरांत विभागीय संकल्प सं0-9253, दिनांक 21.11.2019 द्वारा श्री नायक के विरूद्ध 50% पेंशन राशि की कटौती का दण्ड अधिरोपित किया गया।

उक्त दण्ड के विरूद्ध श्री नायक द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जो राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-458, दिनांक 20.02.2020 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया है। श्री नायक द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु निम्नवत् है-

(**i**) संयुक्त सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक-9570, दिनांक-31.12.2018 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित करने का निदेश प्राप्त हुआ। इसके आलोक में उनके द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील नं0-6770 माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची द्वारा रिट नं0. W.P.(S) NO.-5643/2005 में दिनांक 23.03.2009 को पारित आदेश एवं W.P.(S) NO.-1224/2009 में दिनांक 20.09.2012 को पारित आदेश की प्रति संलग्न कर अनुरोध किया गया कि उनका सेवानिवृति (दिनांक-31.05.2013) के पूर्व मेरे विरुद्ध कोई मामला लम्बित नहीं था, न ही उनके सेवाकाल में विभागीय कार्यवाही प्रारंभ किया गया है। सेवानिवृति के बाद उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ किया गया और अंतिम रुप से पेंशन स्वीकृति से 50% की राशि कटौती का दण्ड बिलकुल अमानवीय एवं नियम के विपरीत किया गया है। अतः विभागीय कार्यवाही बंद करने की कृपा की जाय।

समीक्षा- श्री नायक के विरुद्ध लगाये गये आरोप वर्ष 2011-12 की अवधि के हैं एवं श्री नायक दिनांक 31.05.2013 को सेवानिवृत हुए है। विभागीय संकल्प सं0-7842, दिनांक 28.05.2015 द्वारा उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई है। स्पष्ट है कि झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43 के परन्तुक-क(**ii**) के अंतर्गत श्री नायक के विरुद्ध चलायी गयी विभागीय कार्यवाही विधिसम्मत है।

(**ii**) श्री विनोद कुमार झा, विभागीय जांच-सह-संचालन पदाधिकारी स्वंय स्वीकार किये है कि आरोपी के बचाव-बयान पर उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्य मांगे जाने पर उपायुक्त, धनबाद के पत्रांक-1168/भू अर्जन दिनांक 16.11.2016 द्वारा सूचित किया गया है कि मंतव्य तैयार करने में दो सप्ताह का समय लगेगा। पुनः पत्रांक-1263, दिनांक 13.12.2016 द्वारा सूचित किया गया ळे कि प्रपत्र-क में गठित

आरोप उनके पूर्वाधिकारी द्वारा तैयार किया गया था। अतः अधोहस्ताक्षरी (उपायुक्त, धनबाद) द्वारा किसी प्रकार का मंतव्य दिया जाना युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता है। चूंकि उपायुक्त, धनबाद के द्वारा कोई मंतव्य नहीं दिया गया।

समीक्षा-आवेदक का कथन सत्य है, किन्तु संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपवार श्री नायक द्वारा समर्पित बचाव-बयान की विस्तृत समीक्षा के उपरान्त ही अपना मंतव्य गठित किया गया है।

(**iii**) मेरे द्वारा रैयतों को **A/C Payee** चेक द्वारा मुआवजा भुगतान किया गया। चेक बैंक में जमा होने के पूर्व बैंक द्वारा भुगतान किया गया। किसी के खाता में **Transfer** किया गया या स्वंय खर्च किया। इसमें मेरा क्या भूमिका है।

समीक्षा- उप विकास आयुक्त, धनबाद के पत्रांक-896/डी0आर0डी0ए0 दिनांक-13.04.2015 द्वारा प्रेषित जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि पंचाटी श्री गणेश मुर्मू, पिता-श्री टीकाराम मुर्मू को उनके खाते में कुल 63.70 लाख रु० जमा होने के संबंध में जानकारी नहीं थी एवं उनके द्वारा कोई चेक भू-अर्जन कार्यालय से प्राप्त नहीं किया गया। श्री मूर्मु द्वारा जाँच में यह भी बयान दिया गया कि श्री बिपिन कुमार राव अपने आपको भू-अर्जन कार्यालय के पदाधिकारी बताकर उनसे सादा कागज एवं सादा चेक पर हस्ताक्षर करा लिये एवं उन्हें केवल 90.00 हजार रु0 की राशि दी गई है। इसी प्रकार श्री रसिक मुर्मू को सादा चेक पर हस्ताक्षर कराकर 27.00 लाख रु0 की राशि के विरुद्ध मात्र 3.00 लाख रु0, श्री देवराज मुर्मू को 1,48,96,000.00 रु0 के विरुद्ध मात्र 96.00 हजार रु0 एवं श्री सीताराम मंराडी को 46.40 लाख रु0 की राशि के विरुद्ध मात्र 40.00 हजार रु0 की राशि प्राप्त हुई।

संचालन पदाधिकारी द्वारा मंतव्य दिया गया है कि '' ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी के द्वारा चेक प्राप्ति के प्रमाण स्वरुप रैयतों का हस्ताक्षर प्राप्त कर चेक रैयतों को न देकर बिचौलिया को दे दिया गया, जिनके द्वारा सादा कागज एवं चेक पर रैयतों का हस्ताक्षर प्राप्त कर जोड़ापोखर पैक्स के पदाधिकारियों की मिलीभगत से राशि की बंदरबाट कर ली गई है। आरोपी पदाधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि भोले-भाले अनुसूचित जनजाति के रैयतों का मुआवजा की राशि किसी दूसरे के द्वारा नहीं ले ली जाय।''

अतः आरोपी के बिचौलियों के साथ संलिप्तता से इंकार नहीं किया जा सकता ।

(**IV**) जाँच कमिटि का आरोप कि रैयतों को 33 में से मात्र 10 नोटिस तामिला कराया गया है। जबकि 21 में से 19, 14 में से 13,24 में से 11 रैयतों को नोटिस तामिला कराया गया है।

उल्लेखनीय है कि झारखण्ड स्वैच्छिक भू-अर्जन नियमावली, 2010 में धारा-5 ए एवं 9 की कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। इसके बावजूद रैयतों को नोटिस तामिला कराया गया तथा जो रैयत झारखण्ड स्वैच्छिक भू-अर्जन नियमावली, 2010 के तहत अपनी सहमति पत्र दिये उसे जे0आर0डी0ए0

की बैठक में लिये गये निर्णय के आधार पर भुगतान किया गया है। धारा-9 के नोटिस के आधार पर भुगतान नहीं किया गया है।

समीक्षा- संचालन पदाधिकारी द्वारा उक्त संदर्भ में स्पष्ट किया गया है कि झारखण्ड स्वैच्छिक भू-अर्जन नियमावली, 2010 के तहत भू-अर्जन की अनुमति सरकार के द्वारा दि0 15.12.2012 को दी गई, जबकि आरोपी द्वारा भुगतान उसके पूर्व ही कर दिया गया। स्वैच्दिछक भू-अर्जन नियमावली के अनुसार प्राक्कलन स्वीकृति के पश्चात सहमति पंचाट की घोषणा समाहर्त्ता द्वारा की जानी है। समाहर्त्ता द्वारा पंचाट की घोषणा तो दूर की बात, किसी अभिलेख या संचिका में मुआवजा भुगतान से पूर्व उपायुक्त-सह-समाहर्त्ता की सैद्धांतिक सहमति भी प्राप्त नहीं की गई। जब स्वैच्छिक भू-अर्जन नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन ही नहीं किया गया तो धारा-5 ए एवं 9 की सूचना की तामिला के संबंध में आरोपी के द्वारा नियमावली की दुहाई ही देना व्यर्थ है। उक्त आधार पर आरोपी पदाधिकारी का कथन मान्य नहीं है।

(**V**) संयुक्त दलील पर रैयतों ने जमीन खरीदा और आपसी सहमति के आधार पर पट्टाधारी को भुगतान किया गया। इसमें किसी तरह का कोई आपत्ति भी प्राप्त नहीं है। इसमें भी संचालन पदाधिकारी आरोप सिद्ध कर दिये।

समीक्षा- संचालन पदाधिकारी द्वारा उक्त आधार पर आरोप सिद्ध नहीं किया गया है। बल्कि भू-अर्जन प्रक्रिया के तहत धारा-4(1) के अंतर्गत अधिसूचना निर्गत होने के पश्चात एक गिरोह द्वारा साजिशपूर्वक अधिग्रहित की जाने वाली भूमि को कम मूल्य पर रैयतों से क्रय किये जाने एवं आरोपी पदाधिकारी द्वारा भूमि के नये क्रेताओं को मुआवजा भुगतान किये जाने संबंधी आरोपों को प्रमाणित किया गया है। कई क्रेताओं द्वारा भूमि क्रय किये जाने के पश्चात दाखिल-खारिज भी नहीं कराया गया एवं बिना दाखिल-खारिज कराये ही सिर्फ निबंधित डीड के आधार पर आरोपी पदाधिकारी द्वारा मुआवजा का भुगतान कर दिया गया।

(**VI**) जे0आर0डी0ए0 की बैठक में लिये गए निर्णय के अनुसार उनके द्वारा स्वैच्छिक नियमावली, 2010 के तहत एवं अधियाची विभाग के अधियाचना के आलोक में भूमि अधिग्रहण जल्द करने के उद्देश्य से रैयतों को मुआवजा भुगतान करने के लिये आदेश प्राप्ति हेतु अपर समहर्त्ता के समक्ष संचिका उपस्थापित किया। अपर समाहर्त्ता ने स्वैच्छिक भू-अर्जन नियमावली, 2010 के तहत रैयतों से शपथ पत्र एवं एकरारनामा पत्र लेकर मुआवजा भुगतान करने का निर्देश दि0 18.06.2011 को दिये तथा सभी मुआवजा के पूर्व अपर समाहर्त्ता से आदेश लिया गया। इस आदेश के उपरान्त ही पंचाटी को सहमति के आधार पर पंचारित राशि का **80%** रैयतों को मुआवजा भुगतान किया गया।

स्मीक्षा- अपर समाहर्त्ता रैयतों को भू-अर्जन का मुआवजा भुगतान देने हेतु सक्षम पदाधिकारी नहीं है। यदि वे भुगतान का आदेश देने हेतु सक्षम होते तो उनके द्वारा अपने पत्रांक-01 (मु0)/भू-अर्जन दि0 21.02.2012 द्वारा राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी।

इसके अतिरिक्त श्री नायक द्वारा अपने पुनर्विचार अभ्यावेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है, जो उनके द्वारा संचालन पदाधिकारी अथवा द्वितीय कारण पृच्छा में उल्लेखित किया गया है।

अतः समीक्षोपरांत, **श्री लाल मोहन नायक, तत्कालीन जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, धनबाद द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत् 50% पेंशन राशि की कटौती किये जाने संबंधी अधिरोपित दण्ड यथावत् रखा जाता है।**

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री लाल मोहन नायक, सेवानिवृत्त झा0प्र0से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान
सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 348 -- 50